संख्या-9/2015/ए-1-431/दस-2015-10(23)/95

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक - 13 मई, 2015**

विषय :- उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों द्वारा कोषागारों/राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जीवित प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-1995/दस-2003-10(23)/95, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 व शासनादेश संख्या-ए-1-27/दस-2010-11(1)/2008, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में पेंशनरों के लिये लागू पेंशन भुगतान योजना में यह व्यवस्था है कि पेंशनर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक वर्ष में एक बार दिनांक 01 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक की अवधि में कोषागार में उपस्थित होकर अथवा सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जीवित प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रस्तुत करना पड़ता है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिनांक 01 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने की बाध्यता होने के कारण बहुत से पेंशनर, जो राज्य में न रहने के फलस्वरूप अपने पुत्र-पुत्रियों के पास अथवा अन्य राज्यों में अस्थायी रूप से रहते हैं, उन्हें सिर्फ जीवित प्रमाण-पत्र देने हेतु आना पड़ता है और अधिकांश पेंशनरों के न आने के कारण उनकी पेंशन रूक जाती है। अनेक पेंशनर अस्वस्थता के कारण भी कोषागार में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। पेंशन अवरूद्ध हो जाने की स्थिति में उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। दिनांक 01 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक जीवित प्रमाण-पत्र दिये जाने की तिथि निश्चित होने के कारण उक्त अवधि में समस्त पेंशनरों के कोषागार में उपस्थित होने के कारण कोषागारों में भी अत्यन्त भीड़ हो जाती है और कोषागार का कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त समस्या के निवारण हेतु जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने की वर्तमान व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) पेंशनर को सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्रथम पेंशन भुगतान की तिथि के 01 वर्ष पश्चात् "जीवित प्रमाण-पत्र" देने की आवश्यकता होगी।

(2) पेंशनर यदि सेवानिवृत्ति के 01 वर्ष पश्चात् अपना "जीवित प्रमाण-पत्र" किसी कारणवश देने में असमर्थ है, तो वह अपनी सुविधानुसार 01 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही अपना जीवित प्रमाण-पत्र कोषागार में जमा कर सकता है और ऐसी स्थिति में उन्हें अपना अगला जीवित प्रमाण-पत्र जिस माह में प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है, के 01 वर्ष के अन्दर जमा करना होगा। इस व्यवस्था से पेंशनर को किसी निश्चित अवधि में जीवित प्रमाण-पत्र जमा करने की बाध्यता के स्थान पर वर्ष में कभी भी जीवित प्रमाण-पत्र दिये जाने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

(3) स्थायी रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त पेंशनर्स, जिन्हें कोषागार में उपस्थित होने में कठिनाई होती है, उनके घर जाकर जीवित प्रमाण-पत्र दिये जाने की व्यवस्था पहले से ही शासनादेश संख्या-ए-1-137/दस-2012-10(42)/2010, दिनांक 07 फरवरी, 2012 में है। गम्भीर बीमारियों से ग्रसित पेंशनर जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं, पर भी इस व्यवस्था को लागू किया जाता है।

(4) पेंशनरों को जीवित प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित उस बैंक शाखा के प्रबन्धक जिसमें पेंशनर का खाता है, को भी शासनादेश संख्या-ए-1-1995/दस-2003-10(23)/95, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 द्वारा अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में यह व्यवस्था भी की जाती है कि जो पेंशनर प्रदेश के बाहर निवास कर रहें है, वे अपना जीवित प्रमाण-पत्र अपने रहने के स्थान पर स्थित उस बैंक जिसमें उसका पेंशन खाता खुला है, की किसी भी शाखा के शाखा प्रबन्धक से प्रमाणित कराकर मूल बैंक जहाँ उनकी पेंशन आहरित कर कोषागार द्वारा भेजी जाती है, के माध्यम से कोषागार को उपलब्ध करा सकते हैं।

(5) भारत के बाहर निवास करने वाले पेंशनर्स के सम्बन्ध में पूर्व से शासनादेश संख्या-ए-1-489/दस-2010-10(23)/95 टी0सी0-2, दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 द्वारा लागू व्यवस्था यथावत् रहेगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सरलीकरण व्यवस्था दिनांक 01 जून, 2015 से प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू होगी एवं जीवित प्रमाण-पत्र लागू करने की सभी विधाओं पर समान रूप से लागू होगी। इस मध्य निदेशक, कोषागार, कोषागार में चल रहे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

साफ्टवेयर में यथावश्यक संशोधन कराया जाना सुनिश्चित कर लेंगे। कृपया शासन के उक्त निर्णय को सभी सम्बन्धित की जानकारी में लाकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2015/ए-1-431(1)/दस-2015-10(23)/95, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त प्रमख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(5) महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(6) मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई।
(7) मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर।
(8) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(10) मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।
(11) मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ/नई दिल्ली।
(12) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(13) नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) इलाहाबाद।

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

संख्या-9/2015/ए-1-431(2)/दस-2015-10(23)/95, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 14, इण्डिया एक्सचेन्ज प्लेस, कोलकाता-1.
(2) जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, केन्द्रीय कार्यालय, ब्रान्च एक्सटेंशन प्रोग्राम, पोस्ट बाक्स नं0-6056, 3-फजल रोड ऑफ कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005.
(3) जनरल मैनेजर, सेण्ट्रल बैंक आफॅ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, चन्दरमुखी, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021.
(4) जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, 5-पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, यूनियन बैंक बिल्डिंग, 239, बैकवे रिक्लेमेशन, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400020.

(6) जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, एक्सप्रेस टॉवर्स, नारीमन प्वाइंट, पोस्ट बाक्स नं0-234, मुम्बई-400021.

(7) जनरल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, 16 ओल्ड कोर्ट हाऊस स्ट्रीट कोलकाता-1.

(8) जनरल मैनेजर, इण्डियन ओवरसीज बैंक, प्रधान कार्यालय, 151 माउण्ट रोड, चेन्नई-21.

(9) जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शिलय बैंक, प्रधान कार्यालय, 10, ब्रबोरने रोड,कोलकाता-1.

(10) जनरल मैनेजर, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जयचम राजेन्द्र रोड, पोस्ट बाक्स नं0-684, बैंग्लोर-2.

(11) जनरल मैनेजर, सिण्डीकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0-1, मनीपाल (एस0के0), कर्नाटक स्टेट।

(12) जनरल मैनेजर, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देवकरन, ननजी बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स नं0-41, फोर्ट मुम्बई-400001.

(13) जनरल मैनेजर, इण्डियन बैंक, प्रधान कार्यालय, इण्डियन बैंक बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स नं0-41, फोर्ट मुम्बई-400001

(14) जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, 45-एलआईसी बिल्डिंग, हजरतगंज लखनऊ।

(15) जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज लखनऊ।

(16) जनरल मैनेजर, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, 23 विधान सभा मार्ग लखनऊ।

(17) रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, स्टार हाऊस, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, शाहनजफ रोड, लखनऊ।

(18) रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, कानपुर/लखनऊ/मेरठ।

(19) रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मैजरबैक्स रोड, लखनऊ/दिल्ली रोड, मेरठ/कमच्छा, वाराणसी।

(20) रीजनल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, एच0बी0 हबीबुल्ला स्टेट हजरतगंज, लखनऊ।

(21) रीजनल मैनेजर, इण्डियन ओवरसीज बैंक, पूसा रोड, नई दिल्ली।

(22) जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शिलय बैंक, 23 विधान सभा मार्ग लखनऊ।

(23) डिवीजनल मैनेजर, केनरा बैंक, विपिन खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

(24) रीजनल डेवलपमेण्ट मैनेजर, सिण्डीकेट बैंक, बहादुर शाहनजफ मार्ग, नई दिल्ली।

(25) रीजनल मैनेजर, देना बैंक, बड़ा खम्भा रोड, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in